ALL INDIA CONGRESS COMMITTEE

24, AKBAR ROAD, NEW DELHI
COMMUNICATION DEPARTMENT

Hindi statement and Question/Answer from the Press Briefing

23, February 2018

Shri Shaktisinh Gohil, Spokesperson AICC addressed the media today.

श्री शक्तिसिंह गोहिल ने कहा कि **'जन धन लूट योजना'** का पर्दाफाश - **आम जनता के लगभग 5000 करोड़ रु. हुए स्वाहा**

नीरव मोदी यानि छोटा मोदी + मेहुल चोकसी यानि 'हमारे मेहुल भाई' ने न केवल भारत के बैंकों के 21,306 करोड़ रु. पर हाथ फेर दिया बल्कि इस षडयंत्र के नए खुलासों ने साफ कर दिया कि भारत के मध्यम वर्ग और आम नागरिकों की 5,000 करोड़ रु. से ज्यादा की गाढ़ी कमाई पर सेंध लग चुकी है।

देश में खुलेआम 'जन धन लूट' योजना चलती रही और मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे तमाशबीन बनकर देखती रही।

गीतांजलि जेम्स लिमिटेड ने तीन ज्वेलरी निवेश योजनाएं, यानि (अ) शगुन; (ब) 'स्वर्ण मंगल लाभ' (एसएमएल) और (स) 'स्वर्ण मंगल कलश' (एसएमके) चलाईं। इन योजनाओं का ढांचा यह था कि ज्वेलरी खरीदने व अपने निवेश पर फायदा कमाने की चाह रखने वाले आम नागरिक को नियत राशि की 11 किश्तें जमा करानी होती थीं। इसके बदले में गीतांजलि ग्रुप 12 वीं किश्त निशुल्क देता था। इन किश्तों की अवधि 12 महीनों, 24 महीनों या 36 महीनों की तय की जा सकती थी। अवधि की समाप्ति पर इकट्ठा हुई राशि से ज्वेलरी खरीदी जा सकती थी, जिससे निवेशकों को 50 प्रतिशत तक का अतिरिक्त लाभ मिलता था।

बैंकों में लूट के मामलों की तरह ही इन योजनाओं के द्वारा भी आम जनता को चूना लगाया गया, क्योंकि ज्यादातर मामलों में न तो वायदे के अनुरूप आखिरी किश्त अदा की गई और न ही ज्वेलरी या उनका पैसा उन्हें वापस लौटाया गया। परिणाम यह हुआ कि सितंबर, 2015 में शपथपत्र देकर गुजरात में भारी संख्या में पुलिस शिकायतें दर्ज कराई गईं। गुजरात पुलिस को सौंपी गई शपथ पत्रों की चार प्रतियां संलग्नक A.1 से A.4 में दी गई हैं। इस स्कीम के लिए जारी किए गए कार्ड की प्रति संलग्नक A.5 में संलग्न है।

10 अक्टूबर, 2017 को गीतांजलि ग्रुप द्वारा आम जनता से की गई धोखाधड़ी के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने शिकायतें दर्ज कराईं। आश्चर्य इस बात का है कि एफआईआर दर्ज करके नीरव मोदी/मेहुल चोकसी एवं अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की जगह भावनगर पुलिस ने इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया और अंत में इसकी जांच सीआईडी क्राईम, गांधीनगर से कराए जाने की सिफारिश कर डाली। पुलिस रिपोर्ट के अनुवाद की प्रति संलग्नक A.6 में संलग्न है।

रोचक बात यह है कि यद्यपि ये शिकायतें 10 अक्टूबर, 2017 को दर्ज कराई गई थीं, लेकिन गुजरात पुलिस 25 जनवरी, 2018 तक इंतजार करती रही, जब तक नीरव मोदी/मेहुल चोकसी तथा इसके जिम्मेदार लोग एक-एक करके देश से बाहर नहीं चले गए। अकेले गुजरात में ऐसे हजारों मामले हैं, जिनमें पुलिस ने नीरव मोदी/मेहुल चोकसी के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की।

अगर देश की बात करें तो ऐसे हजारों मामले और हैं। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि आम जनता को खुलेआम लूटा जाता रहा और केंद्र की भाजपा सरकार व पूरा सरकारी तंत्र हर मामले को केवल मूक दर्शक बनकर देखने के सिवाए और कुछ नहीं कर पाया। गुनाहगारों के साथ सरकार की ऐसी मिलीभगत और संरक्षण का उदाहरण कहीं और देखने को शायद ही मिले।

2. गीतांजलि ग्रुप बना वाईब्रैंट गुजरात 2017 का 'सहयोगी'

आम जनता से धोखाधड़ी और जालसाजी की अनेकों शिकायतें दर्ज होने के बाद भी भाजपा सरकार ने मेहुल चौकसी/नीरव मोदी के गीतांजलि ग्रुप को वाईब्रैंट गुजरात समिट 2017 (10 से 13 जनवरी, 2017 के बीच आयोजित) के सहयोगी के रूप में पेश किया। इसकी एक प्रति संलग्नक A.7 में संलग्न है। इससे साफ हो जाता है कि केंद्र व राज्य की सरकारें छोटा मोदी और उसके अंकल के मामले में हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी थीं।

3. भारतीय जनता पार्टी नीरव मोदी/मेहुल चोकसी से अपने नेताओं के संबंधों के मामले में चुप्पी क्यों साधे बैठी है?

1. जब प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी ने साल, 2015 में गोल्ड मोनेटाईज़ेशन योजना का उद्घाटन किया था, तब क्या उस समारोह में मेहुल चोकसी को आमंत्रित नहीं किया गया था? क्या यह सच नहीं है कि उसी समारोह में प्रधानमंत्री ने बड़े स्नेह के साथ मेहुल चोकसी को 'हमारे मेहुल भाई' कहकर संबोधित किया था?

2. क्या नीरव मोदी भारत से भाग निकलने के बाद 23 जनवरी, 2018 को डावोस, स्विट्जरलैंड में प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटोग्राफ खिंचवाने वाले भारतीय सीईओ के समूह में मौजूद नहीं था। क्या इस फोटोग्राफ को पीएमओ, पीआईबी और एमईए से ट्वीट नहीं किया गया?

3. प्रधानमंत्री, श्री नरेंद्र मोदी को मेहुल चोकसी और नीरव मोदी के साथ अपने संबंधों को स्वीकार करने में क्यों आपत्ति हो रही है?

4. क्या यह सच है कि कु. अपर्णा चुदासमा (भाजपा प्रवक्ता एवं महाराष्ट्र भाजपा की कु. शैना एनसी की संबंधी-सिस्टर इन लॉ) नीरव मोदी के साथ हेड ऑफ सेल्स थीं?

5. क्या यह सच है कि मेहुल चोकसी और गीतांजलि ग्रुप ने अगस्त, 2015 में कु. शैना एनसी की फैशन शो का प्रायोजन किया था? क्या यह सच है कि इस फैशन शो

की अध्यक्षता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, श्री देवेंद्र फड़नवीस की पत्नी, श्रीमति अमृता फड़नवीस ने की और गुजरात की तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्रीमति आनंदी बेन पटेल की पुत्री, कु. अनार पटेल इस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर थीं? क्या यह सही है कि मेहुल चोकसी ने इस समारोह के बारे में समाचारपत्रों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए, जिनमें गीतांजलि ग्रुप को समारोह का स्पॉन्सर बताया गया तथा उपरोक्त बताए गए व्यक्तियों के फोटो भी विज्ञापन में मौजूद थे, जो मेहुल चोकसी और उनके करीब के संबंधों को स्थापित करते हैं (इस विज्ञापन की प्रति संलग्नक A.8 में संलग्न है)?

एक पूछे गए प्रश्न पर कि ये शिकायत नोटरी पेपर पर क्यों है, श्री गोहिल ने कहा कि नोटरी वो इंडिपेंडेंड बंदा होता है, जो एडवोकेट होता है, जिसके पास एक रजिस्टर रहता है, जिसमें वो ढप्पा लगाता है, यहाँ भी वो ढप्पा लगा है और वो सर्टिफाई करता है डेट कि शिकायत कब हुई। तो this document which is notarized, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की जा सकती। इसलिए, मैंने हजारों एप्लीकेशन में से जहाँ मैं 100 प्रतिशत निश्चित हूं, वही कॉपी मैंने आप लोगों को दी हैं जिसमें ये साबित होता है कि ये 2015, सितंबर में हुआ था।

मैंने आपको गुजराती दस्तावेज का हिंदी रुपांतरण दिया है। गुजराती में भी हैं, जिसमें इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर के हस्ताक्षर हैं, वो दिए हैं और बाकि जो भी कागजात हैं वो मैंने आपको बकायदा दिया है। भाजपा के स्पोकसपर्सन की तरह हवा में बातें नहीं करुंगा, जो कागजात मुझे मिले हैं, मैंने उसके आधार पर आपके सामने बात रखी है।

यह पूछे जाने पर कि ये योजना कब लागू हुई श्री गोहिल ने कहा कि मैंने जो एफिडेविट दिए हैं, उसमें ये सारी चीजें दी गई हैं। 3 स्कीम हैं। नाम भी बड़े आकर्षित हैं। शगुन, स्वर्ण मंगल लाभ, स्वर्ण मंगल कलश, एस.एम.के। इन्होंने अगल-अलग तरीकों से 2014 तक लॉच की। शुरु में एक दो स्कीम बनाई, उसमें जिसने पैसे भरे, उसको फायदा दे दिया गया। जब तक हमारी सरकार थी, जिस किसी ने भरा तो उसको फायदा दिया। पर यहाँ 2014 के बाद चीटिंग शुरु हुई कि

आपने 12 महीने की किश्तें दे दी, 12 महीनों के बाद जब आप जा रहे हैं ज्वेलरी स्टोर में कि मेरा 3 लाख बकायदा डिपोजिट हुआ है, बेटी की शादी है, मुझे बेटी के लिए गहने लेने हैं, कार्ड स्वाईप करो और मुझे बोनस देना है वो भी दो और गहने भी दो। तो स्टोर वाला कहता है कि नहीं, ये हमारा नहीं ये मुम्बई की स्कीम में है, वहाँ मुख्य ब्रांच में पूछो। वहाँ फोन लगाया तो अंग्रेजी में जवाब देते हैं, अंग्रेजी स्पीकिंग पर्सन को फोन लगाया तब पता चलता है कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, than they file and said with the proof कि सर ये चीटिंग हो रही है, आप कुछ कीजिए।

सितंबर में ये करते हैं तो अगस्त में महाराष्ट्र और गुजरात के एक चीफ मिनिस्टर की पत्नी, एक चीफ मिनिस्टर की बेटी और एक बीजेपी की स्पोक्सपर्सन के साथ इश्तिहार आते हैं, बड़े-बड़े फोटोग्राफ्स आते हैं, पुलिस अफसर के ऊपर प्रेशर आता है। मैंने बात की पुलिस सब इंसपेक्टर से कि आपने क्यों नहीं शिकायत रजिस्टर किया?उन्होंने कहा कि सर हम तो रजिस्टर करना चाहते थे लेकिन ये बड़े आदमी लग रहे थे, अखबार में हमने भी देखा था, हमने कुछ करना चाहा, तो ऊपर से फोन आ गया कि कुछ करना नहीं है, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, शिकायतकर्ता में कुछ दम नहीं, बोले की हम फिर रोक कर बैठे रहे हैं। 2017 की जो शिकायत थी, वो लंबे समय तक भाव नगर पुलिस स्टेशन में पड़ी रहती है।

जब वो 26 जनवरी को भाग जाते हैं तो 28 जनवरी को पीआई और पीएसआई हस्ताक्षर करके एसपी को भेजते हैं कि इस शिकायत को क्राईम ब्रांच में भेजो। तो इस प्रकार जनधन लूट योजना इस देश में चल रहा था, भाजपा के आशीर्वाद से।

एक प्रश्न पर कि यह क्या सिर्फ गुजरात में ही रहा था, श्री गोहिल ने कहा कि भाव नगर के कागजात मुझे मिले हैं परंतु सिर्फ सिर्फ भाव नगर में नहीं, ये पूरे देश में हुआ है और अहदाबाद क्राईम ब्रांच में पुलिस रिपोर्ट में लिखा है कि अहमदाबाद क्राईम के पास पूरे गुजरात से ऐसी ढेर सारी एप्लीकेशन आई हैं। आज मेरी बात हुई, भुझ के कुछ लोगों ने कहा कि हमारे पैसे गए हैं साहब। अहमदाबाद के लोगों ने कहा कि हमारे पैसे गए हैं, मुम्बई से 4 लोगों के फोन आए कि हमारे

पैसे भी इसमें डूबे हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि भारत सरकार जिस-जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, उनकी डिटेल मंगाए और इनके पैसे किसी भी कीमत पर वापस दिलाए।

एक अन्य प्रश्न पर कि स्कीम में क्या होता था, श्री गोहिल ने कहा कि वेबसाईट पर स्कीम हैं - तीन स्कीम में से कौन सी चाहिए, आप जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आपको प्लास्टिक क्रेडिट कार्ड जैसा कार्ड दिया जाएगा और उशकी एवेज में गीताजंली जेम्स के नाम का चैक देना पडेगा। कोई भी ब्रांच इस चैक को स्वीकार करेगी और कुछ दिनों के बाद आप ऑनलाईन चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा वहाँ जमा हो गया। इसमें ऐसा नहीं है कि 11 महीने तक नहीं दिखता था, दिखता था कि मेरा पैसा जमा हो रहा है। 12 महीने तक किश्तें भी भर दी, वो भी दिख रहा है, लेकिन जब आप जाते थे कि मुझे गहने खरीदने हैं तो आपको कहा जाता था कि हेड़ ऑफिस से बात करो, आपका अप्रूवल होगा, फिर कहते थे कि हमारा कोई लेना-देना नहीं आप मुम्बई जाओ। ये सब होता था। ये चीट फंड है और सबसे बड़ा है। ऐसे चीटर जो सरकार को लिखते हैं कि मेरे साथ चीटिंग हुई है, पुलिस को लिखते हैं, अथोर्टी को लिखते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता है और वॉयब्रेंट गुजरात के इसे पोटेंशियल कोलोबरेशन के तौर पर दिखाया जाता है।

एक अन्य प्रश्न पर कि इस केस में क्या होना चाहिए, श्री गोहिल ने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। ये और मेरी बात तो ये है कि जहाँ-जहाँ पर भी बताया गया था, जिन-जिनको, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा गया था कि साहब ये बैंक के पैसे बाहर लेकर भाग गया है, ये माल्या की तरह है और फिर प्रधानमंत्री जी के वहाँ से हमने आपको 3 शिकायतें दी। अगर कानून है तो हमारा संविधान ये कहता है कि सभी बराबर है कानून के सामने। वेस्ट बंगाल में कानून अलग हैं और बड़े मोदी साहब के लिए कानून अलग हैं ऐसा तो नहीं है, देश के लिए सब एक हैं। तो हम मांग करते हैं कि कानून के तहत काम होना चाहिए।

एक अन्य प्रश्न पर कि इसमें चीटिंग कैसे हुई, श्री गोहिल ने कहा कि अगर आप किसी बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो क्राईम नहीं होता है। किसी से आप लोन लेते हो तो क्राईम नहीं होता। क्राईम तब होता है जब आप बैंक से लोन लेकर बाहर भाग जाए, पैसे ना भरो या आपको कोई बताए कि साहब यहाँ चीटिंग हो रही है और फिर आप एक्शन ना लो।

जब कोई क्राईम कमिट करता है उसके बाद भी उसे आप वॉयब्रेंट गुजरात में बुलाओ, आप क्राईम कमिट होने के बाद उसके साथ तस्वीरें खिंचवाओ और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर बने कि साहब ये तो बहुत बड़ा आदमी है कि प्रधानमंत्री जी इसे चेहरे से जानते हैं कि ये तो हमारे मेहूल भाई हैं, कौन पुलिस वाला हिम्मत करेगा फिर? इतनी सारी शिकायतों के बावजूद वो बाहर गया है और जिस तरह से वो बातचीत करता है इस देश के साथ, हिम्मत देखो उसकी!

Upon being asked about the action taken by Gujarat police, Shri Gohil said that this is also not a registery of any case; what they have said is that send these complaints to CID crime- Gandhi Nagar because similar complaints are pending before it. So, till 20th January 2018 Bhav Nagar police inspector was keeping this complaints pending with him.

Sd/-
(Vineet Punia)
Secretary
Communication Deptt.
AICC